III/निगरानी/सिंगरौली/भू०रा०/2017/2975

न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

रामचरण पुत्र हुब्बलाल कुम्हार
निवासी ग्राम करूआरी तहसील व जिला सिगंरौली म.प्र.

––– आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला सिगंरौली

––– अनावेदक

श्री S. P. Dhakad
द्वारा आज दि. 28.08.17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला सिंगरौली के प्र.क. 54/स्व.निग./1998–99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से निगरानी अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 5/1, रकवा 0.25 एकड़ , 6/2 रकवा 4.75 एकड़ भुमि के संबंध मे आवेदक निवासी ग्राम करूआरी तहसील व जिला सिंगरौली का कब्जा ... आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष

(70)

८।म.स.रु./२।५५

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग०/सिंगरौली/भू.रा./2017/2975

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/17	इस प्रकरण में दिनांक 24/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 54/स्व.नि./1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । [signature] 6/2/19. सदस्य	